न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
43/2023	प्रा.पत्र 131,132 **LRA**	19.07.2023	05.10.2023

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

—वादी—

बनाम

1. मगनीराम आदि

—प्रतिवादीगण—

न्यायालय भूप्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर की अपील 22/2019 निर्णय दिनांक 10.03.22 की पालना में अन्तर्गत धारा 131,132एल.आर.ए.

उपस्थित — 1. पैरोकार राज उपस्थित।
2. श्री धन्नाराम सैनी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना—पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू राजस्थान सरकार बनाम मगनीराम वगैर निर्णय दिनांक 02.12.16 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील सं. 22/2019 निर्णय दिनांक 10.03.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए गए कि वादगत खसरा नम्बर 596/304, 597/304, 598/304 में आवगमन हेतु सभी काश्तकारों की आपसी सहमति से रास्ता कायम किया हुआ हो तो राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए एवं आवागमन हेतु रास्ता नायबत तहसीलदार को मौके पर भेजकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में आपसी सहमति से सुगम सरल रास्ता कायम किया जावे व उसी रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जिस पर पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चूरू से अप्रार्थीगण की आपसी सहमति से रास्ता कायम किये जाने का प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार चूरू की ओर से नायब तहसीलदार, चूरू ने सभी पक्षकारों की आपसी सहमति से रास्ते का प्रस्ताव व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता धन्नाराम उपस्थित तहसीलदार चूरू से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव व मौका रिपोर्ट को शामिल मिसल कर वकुलाए पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में उभय पक्ष की ओर से निवेदन किया गया कि उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाता है तो हमें कोई आपति नही। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस को सुना जाकर पत्रावली व प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे साबित होता है कि वादगत खसरा नम्बर 596/304, 597/304, 598/304 रेवन्तमल, मगनीराम पुत्र परसाराम, मूली पत्नी स्व. हनुमानसिंह, भंवर[illegible] [illegible]द कुमार पुत्र स्व. हनुमानसिंह की खातेदारी भूमि है जो रिकॉर्डेड खातेदार है नायब [illegible] चूरू से प्राप्त प्रस्ताव से सभी खातेदारा सहमत है तथा सहमति स्वरूप फर्द मौका [illegible] सभी खातेदारों ने अपने हस्ताक्षर किये, वकील प्रार्थी की कोई आपत्ति नहीं है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार चूरू से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि रोही ग्राम रिबिया तहसील चूरू खसरा नम्बर 596/304, 597/304, 598/304 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू के पूर्व आदेश दिनांक 02.12.16 तहसीलदार चूरू की ओर से राजस्व रिकॉर्ड में किये गये अमल दरामद को डिलिट किया जाकर तहसीलदार चूरू से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शे दिनांक 27.07.2023 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उक्त प्रस्ताव एवं नक्शा मूल निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:33 IST
Reason: SelfAttested